न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 125/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

मणिभवनम होम फाइनेंस प्रा. लि. जरिये प्राधिकृत अधिकारी राजेश कुमार शर्मा
रजिस्टर्ड कार्यालयः– द्वितीय तल, एन–2, साउथ एक्सटेंशन पार्ट–1, नई दिल्ली–110049

ब्रांच कार्यालयः– यूनिट नं. 12, तृतीय तल, महिमा ट्रिनिटी, प्लॉट नं. 5, स्वेज फार्म, जयपुर–302019, राजस्थान

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **रामेश्वरी देवी पत्नी प्रभात राम यादव**
   प्रथम पताः– वार्ड नं. 5, ढाणी बकोल्या वाली, गांव गोपालपुरा, जुगराजपुरा, तहसील अजीतगढ, श्रीमाधोपुर, सीकर–332701, राजस्थान
   द्वितीय पताः– खसरा संख्या 290, 291, 292, 293, 305/1, 311, 313, गांव गोपालपुरा, जुगराजपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर–332701, राजस्थान
2. **शम्भू दयाल यादव पुत्र प्रभात राम यादव** वार्ड नं. 5, ढाणी बकोल्या वाली, गांव गोपालपुरा, जुगराजपुरा, तहसील अजीतगढ, श्रीमाधोपुर, सीकर–332701, राजस्थान
3. **सीता राम हनेनवाल पुत्र प्रभात लाल हनेनवाल** पता– 254, ढाणी बनकोलिया, गोपालपुरा, जुगराजपुरा, अजीतगढ, अजीतगढ, अमरसर, सीकर–332701, राजस्थान
4. **राम नारायण यादव पुत्र प्रभात राम यादव** पता– वार्ड नं. 5, ढाणी बकोल्या वाली, गांव गोपालपुरा, जुगराजपुरा, तहसील अजीतगढ, श्रीमाधोपुर, सीकर–332701, राजस्थान
5. **प्रभात पुत्र किशना** पता– 254, ढाणी बनकोलिया, गोपालपुरा, जुगराजपुरा, अजीतगढ, अजीतगढ, अमरसर, सीकर–332701, राजस्थान

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

<u>The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.</u>

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 07 जुलाई, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री राहुल पारीक** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **रामेश्वरी देवी पत्नी प्रभात राम यादव, शम्भू दयाल यादव पुत्र प्रभात राम यादव, सीता राम हनेनवाल पुत्र प्रभात लाल हनेनवाल, राम नारायण यादव पुत्र प्रभात राम यादव** एवं **प्रभात पुत्र किशना** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **रामेश्वरी देवी** के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **खसरा नम्बर 290, 291, 292, 293, 305/1, 311, 313, गांव गोपालपुरा, जुगराजपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर–332701, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 1396.83 वर्ग गज (1168.35 वर्गमीटर)** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में अन्य की भूमि, पश्चिम दिशा में रोड 20 फीट चौडी, उत्तर दिशा में रोड 20 फीट चौडी एवं दक्षिण दिशा में अन्य की भूमि स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹10,00,000/– (अक्षरे रूपये दस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **01.02.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **01.02.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **रामेश्वरी देवी पत्नी प्रभात राम यादव, शम्भू दयाल यादव पुत्र प्रभात राम यादव, सीता राम हनेनवाल पुत्र प्रभात लाल हनेनवाल, राम नारायण यादव पुत्र प्रभात राम यादव** एवं **प्रभात पुत्र किशना** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **रामेश्वरी देवी** के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **खसरा नम्बर 290, 291, 292, 293, 305/1, 311, 313, गांव गोपालपुरा, जुगराजपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर–332701, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 1396.83 वर्ग गज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में अन्य की भूमि, पश्चिम दिशा में रोड 20 फीट चौडी, उत्तर दिशा में रोड 20 फीट चौडी एवं दक्षिण दिशा में अन्य की भूमि स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **07 जुलाई, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर